न्यायालय कलेक्टर, जिला-छतरपुर (म.प्र.)

छतरपुर, दिनांक – 29/09/2016

// आ दे श //

प्रकरण क्रमांक 56/अ–19/भूमि हस्ता./2015–16 कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (राष्ट्रीय राजमार्ग) संभाग, सागर, द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1034/कार्य./2016–17, दिनांक 16.05.2016 से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं0 86 सागर छतरपुर मार्ग के किलो मीटर 88 से 130 तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य प्रगति पर हैं। निर्माण कार्य मार्ग में वन भूमि 9.797 हैक्टेयर भूमि आने से सम्तुल्य क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण बावत गैर वनभूमि जिसका एक भाग वन सीमा से लगा हों वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने का प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (राष्ट्रीय राजमार्ग) संभाग, सागर, के प्रस्ताव अनुसार तहसीलदार बकस्वाहा, द्वारा जांच प्रकरण क्रं0 296/बी–121/2015–16 पंजीबद्ध कर अपने प्रतिवेदन दिनांक 14.07.2016 से प्रतिवेदित किया गया है कि पटवारी हल्का नं0 35 तहसील बकस्वाहा स्थित ग्राम बेरखेरी जो राजस्व अभिलेख में म0प्र0 शासन बंजर के रूप में दर्ज भूमियों को वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने के संबंध में हल्का पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर इश्तहार जारी कर ग्राम पंचायतों से अभिमत, दैनिक समाचार पत्र पत्रिका दिनांक 22.07.2016 दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांक 22.07.2016 में विज्ञप्ति प्रकाशित कराते हुये प्रतिवेदित किया है कि सावधि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। विषयांकित रोड के निर्माण कार्य में आने वाली वन भूमि रकवा 9.797 हैक्टेयर के बदले सम्तुल्य क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु शासकीय राजस्व भूमि ग्राम बेरखेरी रा0नि0मं0 बम्हौरी, तहसील बकस्वाहा स्थित भूमि खसरा नं0 391/1, 409/4, 409/5, 409/6, 416/1, 416/2, 417, 418/1, 418/2, 429/1 कुल किता 10 रकवा क्रमशः 12.249 में से 1.618, 0.773, 0.356, 0.445, 0.211, 0.154, 0.166, 1.080, 0.121, 4.900 कुल रकवा 9.824 हेक्टेयर वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने का प्रतिवेदन वन विभाग की सहमति के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, बिजावर के माध्यम से अग्रेषित किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी, बिजावर द्वारा अपने प्रकरण क्रं0 402/बी–121/2015–16 दिनांक 22.09.2016 से तहसीलदार बकस्वाहा के के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 86 के किलो मीटर 88 से 130 के निर्माण कार्य में आने वाली वन भूमि रकवा 9.797 के बदले शासकीय राजस्व भूमि क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम बेरखेरी स्थित कुल किता 10 एकत्र रकवा 9.824 हेक्टेयर वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा की गई।

नजूल अधिकारी, छतरपुर द्वारा अपने प्रकरण क्रं0 202/भू–बंटन /2016, दिनांक 27.09.2016 से कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, सागर संभाग, सागर के प्रस्ताव अनुसार तहसीलदार बकस्वाहा द्वारा ग्राम बेरखेरी स्थित शासकीय राजस्व भूमि कुल किता 10 एकत्र रकवा 9.824 हेक्टेयर वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन संरक्षक, सामान्य वन मण्डल, छतरपुर के पत्र क्रं0/मा.चि./2016/3004, छतरपुर दिनांक 22.09.2016 दी गई सहमति के आधार पर राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4 क्रमांक 1 की कंडिका 36 के तहत म0प्र0 शासन वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने का प्रकरण अग्रेषित किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी, बिजावर, नजूल अधिकारी, छतरपुर द्वारा तहसीलदार बकस्वाहा द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन दिनांक 14.07.2016 एवं ग्राम पंचायत बेरखेरी के प्रस्ताव क्रमांक 7 दिनांक 20.06.2016 से दी गई सहमति के आधार पर विषयांकित रोड निर्माण में आने वाली वन भूमि रकवा 9.797 हेक्टेयर के बदले क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु

शासकीय राजस्व भूमि ग्राम बेरखेरी रा0नि0मं0 बम्हौरी, तहसील बकस्वाहा स्थित भूमि खसरा नं0 391/1, 409/4, 409/5, 409/6, 416/1, 416/2, 417, 418/1, 418/2, 429/1 कुल किता 10 रकवा क्रमशः 12.249 में से 1.618, 0.773, 0.356, 0.445, 0.211, 0.154, 0.166, 1.080, 0.121, 4.900 कुल रकवा 9.824 हेक्टेयर में से 9.797 हेक्टेयर म0प्र0 राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4 क्रमांक 1 की कंडिका 36 (म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रं0 एफ 6-7/2013/सात/2बी, भोपाल दिनांक 13 फरवरी 2013) के तहत म0प्र0 शासन वन विभाग को निम्नांकित शर्तो पर हस्तांतरित की जाती है।

तहसीलदार बकस्वाहा को आदेशित किया जाता है कि आदेशानुसार भूमि का मौके पर सीमांकन कर पत्थर गाड़कर चौहद्दी बताते हुये नापकर कब्जा म0प्र0 शासन वन विभाग, को सौंपते हुये हस्तांतरित भूमि नक्शे में चिन्हित कर राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करते हुये पालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

शर्ते :-

1. विषयांकित प्रयोजन से भूमि का प्रयोग विभिन्न प्रयोजन में नहीं किया जावेगा।
2. प्रश्नाधीन भूमि पर स्थित वृक्षों की कटाई की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से ली जाना आवश्यक होगा।
3. पर्यावरण पदूषण का भी ध्यान रखना होगा।
4. म0प्र0 शासन, वन विभाग द्वारा आवेदित वन भूमि रकवा 9.797 है0 पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने पर।
5. कलेक्टर या उसके प्रतिनिधि को भूमि के उपयोग के संबंध में प्रवेश करने एवं निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
6. भविष्य में भूमि का उपयोग विषयांकित प्रयोजन पर न होने के कारण उस पर निर्मित अद्योसंरचना एवं सम्पत्ति पर म0प्र0 शासन राजस्व विभाग का स्वामित्व होगा, जिसके लिये कोई मुआवजा राशि देय नहीं होगी।

उपरोक्त शर्तो का उल्लघन होने पर आदेश स्वमेव शून्यवत हो जावेगा।
पृथक से संलग्न आदेश हस्ताक्षरित।
आदेश जारी हों।
तत्पश्चात प्रकरण समाप्त होकर दाखिल दफ्तर हों।

(रमेश भण्डारी)
कलेक्टर
जिला-छतरपुर, म0प्र0

पृ.प्र.क्रं0 56/अ-19/भूमि हस्ता./2015-16 छतरपुर, दिनांक - 29/09/2016

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय बल्लभव भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल की ओर अर्द्धशा.पत्र क्रं0 3948/प्रस/लोनिवि./ दिनांक 15.07.2016 के अनुक्रम में सूचनार्थ।
3. कमिश्नर, सागर संभाग, सागर।
4. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, छतरपुर की ओर उनके पत्र दिनांक 22.09.2016 के अनुक्रम में पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कार्यपालन यंत्री, लो0नि0वि0, रा0/रा0, संभाग, सागर की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. नजूल अधिकारी, जिला छतरपुर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिजावर ।
8. तहसीलदार बकस्वाहा की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(रमेश भण्डारी)
कलेक्टर